UPPG010045562026

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–राजीव रंजन, (एच.जे.एस.)
जे.ओ.कोड–यू.पी.–6221
द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1829/2026

अजीत कुमार आयु 28 पुत्र स्व. हुकुम चन्द्र निवासी आर्य बाजार तोप खाना थाना कैंट जनपद प्रयागराज उ.प्र.।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उ०प्र०

..... अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या–409/2025
धारा–5/27 आर्म्स एक्ट।
थाना–कोतवाली नगर, जिला– प्रतापगढ़।

01.07.2026

1. **यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त अजीत कुमार** की ओर से मुकदमा अपराध सं0–409/2025, अ०धारा–5/27 आर्म्स एक्ट, थाना–कोतवाली नगर, जिला–प्रतापगढ़ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. **आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में आधार लिया है कि** प्रार्थी ने कानूनन या वाकियातन कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी की जमानत उपरोक्त मुकदमें में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 02.06.2026 को जमानत सं. 3867/2026 अंतर्गत धारा–109(1)बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर, जिला प्रतापगढ़ में स्वीकार की जा चुकी है। आदेश की मूल प्रति संलग्न है। मुकदमा उपरोक्त में आरोप पत्र प्रेषित करते समय धारा 5/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर दी गयी है, जिसकी वजह से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। प्रार्थी कभी सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थी का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है। कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में न तो प्रस्तुत किया गया है न विचाराधीन है न निरस्त हुआ है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

3. **अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी)** द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

4. **मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

5. **प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि** आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र धारा–109(1)बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट, में प्रस्तुत किया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय से निरस्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा

Digitally signed by Rajeev Ranjan
Date: 2026.07.03 16:13:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

माननीय उच्च न्यायालय में उपरोक्त धाराओं में जमानत प्रार्थना पत्र सं. 3867/2026 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसकी जमानत दिनांक 02.06.2026 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। दौरान विवेचना आरोप पत्र में धारा–5/27 आर्म्स की बढोत्तरी की गयी है। आवेदक/अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मूल धारा में स्वीकार की जा चुकी है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक 25.08.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इसलिए मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर कोई विचार किये अभियुक्त को जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अजीत कुमार** द्वारा मुकदमा अपराध सं0–409/2025, अ०धारा–5/27 आर्म्स एक्ट, थाना–कोतवाली नगर, जिला प्रतापगढ़ में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु० 1,00,000/– रूपये का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि का दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाय।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO (क्रिमिनल) संख्या–4/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31.01.2023 व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी CL– 07/Admin 'G–II' दिनांकित 14.03.2023 के अनुपालन में आदेश की सॉफ्ट प्रति जेल अधीक्षक, कारागार, प्रतापगढ़ को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि आदेश का इंद्राज e–Prison Software में करें और जमानतनामें दाखिल न किये जाने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें।

दिनाँक : 01.07.2026

(राजीव रंजन)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1, प्रतापगढ़।

दुर्गा प्रसाद/–स्टेनो